अध्याय 5

डीपीई दिशा-निर्देशों का अनुपालन

5.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज़) को नीतिगत तथा समग्र दिशानिर्देश देने तथा सीपीएसईज के निष्पादन के निरन्तर मूल्यांकन को सुगम बनाने वाली केन्द्रीकृत समन्वय इकाई के रूप में काम करने के लिए सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना 1965 में की गई थी। मई 1990 में, बीपीई को अलग से एक पूरे विभाग का दर्जा प्रदान किया गया तथा अब इसे भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के रूप में जाना जाता है।

सीपीएसईज़ को दिशानिर्देश/निदेश जारी करने में डीपीई की भूमिका

- निर्देशों/अनुदेशों को प्रशासकीय मंत्रालयों अथवा डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ-साथ अध्यक्षीय निर्देशों के माध्यम से सीपीएसईज़ को जारी किया जाता है।
- **अध्यक्षीय निदेश** प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा सम्बद्ध सीपीएसईज़ को परिस्थितिवश आवश्यक होने पर जारी किए जाते हैं तथा **अनिवार्य** प्रकृति के होते हैं। एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से, ये निदेश किसी एक सीपीएसई से संबंधित होने पर डीपीई के परामर्श तथा यदि ये एक से अधिक सीपीएसई पर लागू हों; तो डीपीई की सहमति से जारी करने होते हैं।
- **दिशानिर्देश** प्रशासकीय मंत्रालयों अथवा डीपीई द्वारा जारी किए जा सकते हैं जैसा भी मामला हो, तथा ये **परामर्श** प्रकृति के होते हैं। सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल के पास इन दिशानिर्देशों को लिखित में कारण देकर न अपनाने का स्वयं निर्णय करने का अधिकार होता है। इस विषय पर कारण बताते हुए बोर्ड के संकल्प डीपीई के साथ-साथ सम्बद्ध प्रशासकीय मंत्रालय दोनों को अग्रेषित करने होते हैं।

5.2 डीपीई दिशानिर्देशों का अननुपालन

डीपीई, निष्पादन सुधार और मूल्यांकन, वित्तीय प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, बोर्ड संरचना, मजदूरी निपटान, प्रशिक्षण, औद्योगिक संबंध, सतर्कता, निष्पादन मूल्यांकन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सीपीएसईज़ से संबंधित नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है।

लेखापरीक्षा में ऐसे मामले देखे गए जहाँ सीपीएसईज़ ने डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था। वर्ष 2013 एवं 2014 की सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 13 में डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले सात और चार लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किये गए थे। उनका संक्षेप में वर्णन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र. सं..	विषय क्षेत्र	संख्या			(₹ करोड़ में)		वे मामले जिनमें उल्लंघन जारी है	(₹ करोड़ में)
		लेखापरीक्षा पैरा	सीपीए-सईज़	मामले	मौद्रिक मूल्य	अनियमित भुगतान की वसूली		लगातार अनियमित भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2013 की एआर सं. 13								
1	अर्धवेतन अवकाश और रोग अवकाश के नकदीकरण का अनियमित भुगतान	1	20	20	413.98	0.28	2	90.18
2	आकस्मिक अवकाश और वैकल्पिक अवकाश के नकदीकरण का अनियमित भुगतान	1	1	1	20.32	शून्य	शून्य	शून्य
3	निष्पादन संबंधी वेतन का अधिक भुगतान	4	4	6	489.14	शून्य **	शून्य ^^	31.04"
4	प्रोत्साहन राशि का अनियमित भुगतान	1	1	1	25.98	शून्य	शून्य	शून्य
2014 की एआर सं. 13								
5	अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन	1	5	5	138.58	1 अगस्त 2014 को यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई। एटीएनज़		

	अवकाश, बीमारी अवकाश के नकदीकरण का अनियमित भुगतान					अभी भी प्राप्त किये जाने बाकी हैं/प्रक्रियाधीन हैं।		
6	ईपीएफ सहयोग में नियोक्ता का भाग	1	7	7	23.42			
7	निष्पादन संबंधी वेतन का अनियमित भुगतान	1	5	5	202.95			
8	आकस्मिक अवकाश का अनियमित नकदीकरण	1	1	1	12.43			
जोड़		**11**	**44**	**46**	**1326.8**	**0.28**	**2**	**120.92**

**सेल के लिए एटीएन प्राप्त नहीं किये गये और इस संबंध में पीएफसी के एटीएन में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई।

^^ सेल के लिए एटीएन प्राप्त नहीं किये गये और इस संबंध में पीएफसी के एटीएन में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई।

" सेल के संबंध में एटीएन प्राप्त नहीं किये गये।

5.3 अननुपालन पर 'अनुवर्ती कार्यवाही' की स्थिति

लेखापरीक्षा में उपर्युक्त लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर सीपीएसईज़/प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत किये गये की गई कार्रवाई टिप्पण (एटीएनज़) की समीक्षा की गई। समीक्षा से ज्ञात हुआ कि हालांकि कुछ सीपीएसईज़ ने किये गये अनियमित भुगतान की बहुत कम प्रतिशतता में वसूली कर ली है और कुछ ने भविष्य में ऐसे अनियमित भुगतान रोक दिये, काफी सीपीएसईज़ अभी भी ऐसे अनियमित भुगतान कर रही है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

2013 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 13

5.3.1 अर्ध-वेतन अवकाश और बीमारी-अवकाश का अनियमित नकदीकरण

भारत सरकार ने सेवा निवृति पर 01 जनवरी 2006 से प्रभावी कुल 300 दिनों की उच्चतम सीमा के अंदर अर्ध-वेतन अवकाश (एचपीएल) और अर्जित-अवकाश (ईएल) के नकदीकरण को स्वीकृति दी थी, जो कि 240 दिन के अर्जित अवकाश की पहले की उच्चतम सीमा में वृद्धि की

गई थी। अप्रैल 1987[§] के डीपीई के अतिरिक्त निर्देशों जिसमें कि सीपीएसईज़ को भारत सरकार (जीओआई) द्वारा इस संदर्भ में दिए गए नीति दिशा-निर्देशों के व्यापक मानदंडों को मद्देनजर रखते हुए छुट्टी नियम तैयार करना था, डीपीई ने उन्हें उनके कर्मचारियों के लिए सेवा-निवृति पर ईएल और एचपीएल के नकदीकरण की 300 दिनों की कुल उच्चतम सीमा का पालन करने को कहा। इसके अतिरिक्त, 17 जुलाई 2012[***] के स्पष्टीकरण में, डीपीई ने दोहराया की रोगावकाश भुनाया नहीं जा सकता यद्यपि ईएल और एचपीएल भुनाए जा सकते हैं जो कि 300 दिनों की कुल सीमा तक है। लेखापरीक्षा ने यह देखा कि 20 सीपीएसईज़ द्वारा डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया था और ₹ 413.98 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि केवल तीन सीपीएसईज़ ने ₹ 0.28 करोड़ की वसूली की थी और ₹ 90.18 करोड़ का आगामी अनियमित भुगतान किया और दो सीपीएसईज़ में उल्लंघन जारी रहा।

5.3.2 आकस्मिक अवकाश और वैकल्पिक अवकाश का अनियमित नकदीकरण

डीपीई ने आकस्मिक अवकाश और वैकल्पिक अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति देने के कोई विशेष निर्देश/दिशानिर्देश जारी नहीं किए थे परंतु जहाजरानी मंत्रालय द्वारा उठाये गए मामलों के स्पष्टीकरण में डीपीई ने कहा था कि (अक्तुबर 2010[***]) आकस्मिक अवकाश को कतई भुनाया नहीं जाना चाहिए और एक कलैंडर वर्ष के अंत में समाप्त होनी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्पष्टीकरण के जारी होने से पूर्व एक सीपीएसई में आकस्मिक अवकाश भुनाया जा चुका था और इस आधार पर ₹ 20.32 करोड़ का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि सीपीएसई ने डीपीई स्पष्टीकरण का पालन करते हुए योजना को बंद कर दिया परंतु पहले से भुगतान की गई किसी भी राशि की वसूली नहीं की गई।

5.3.3 निष्पादन संबंधित वेतन का अधिक भुगतान

क. निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी) की गणना हेतु कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के तत्वों के स्पष्टीकरण के दौरान, डीपीई ने सलाह दी (नवम्बर 2008[+++]) कि 'सीपीएसई को विशेष उद्देश्यों और मुख्य गतिविधि से लाभ होना अपेक्षित है और वो असाधारण मदों जैसे कि स्टॉक का मूल्यांकन, सरकार द्वारा माफ किया गया अनुदान, भूमि की बिक्री आदि (मदों की सूची पूर्ण नहीं है) जहाँ तक निष्पादन संबंधी वेतन का सवाल है; पीबीटी की गणना में शामिल नहीं किए जायेंगे।' लेखापरीक्षा ने देखा कि दो सीपीएसईज़ द्वारा इस सिफारिश का उल्लंघन किया गया और ₹ 49.29 करोड़ की राशि का पीआरपी के लिए अनियमित रूप से भुगतान किया गया।

[§] ओएमसं. 2(27) 85-बीपीई(डब्ल्यूसी) दिनांक 24 अप्रैल 1987

[***] ओ.एम. सं. 2(14)/2012-डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 17 जुलाई 2012

[***] ओ.एम.सं.2(32)/10-डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल-XXIII/26 अक्टूबर 2010

[+++] ओ.एम.सं.2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल-XVI/26 नवबंर 2008

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि सीपीएसईज़ द्वारा अनियमित भुगतान की वसूली नहीं की गई और आगे भी ₹ 6.30 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

ख. i) 26 नवम्बर 2008 के डीपीई दिशानिर्देश ने सीपीएसईज़ द्वारा पीआरपी की दी गई स्वीकृति जो कि एक एंटरप्राईज़ से वितरणीय लाभ के 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक है। इन दिशानिर्देशों ने बोर्ड स्तर के नीचे कार्यकारियों के मूल वेतन का 40 से 70 प्रतिशत तक और पीआरपी के लिए बोर्ड स्तरीय कार्यकारियों के मूल वेतन का 100 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक की उच्चतम सीमा तक प्रस्तुत किया और ये किसी कंपनी के आवंटन लाभों की 5 प्रतिशत की कुल अधिकतम सीमा से अधिक था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि एक सीपीएसई द्वारा इस सिफारिश की अनदेखी की गई और पीआरपी के लिए ₹ 20.52 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सीपीएसई ने अनियमित भुगतान की वसूली नहीं की और भविष्य में ₹ 22.53 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

ii) डीपीई ने सीपीएसईज़ को अनुलाभ और भत्ते के एक सैट (मकान किराया भत्ता और पट्टे के आवास के अलावा जो पृथ्क रूप से नियंत्रित किए गए थे) से चुनने के लिए कार्यकारियों को ''कैफेटेरिया उपागम'' का पालन करने की अनुमति (नवम्बर 2008) दी थी जो मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अंतर्गत थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक सीपीएसई ने इस सिफारिश की अनदेखी की और कार्यकारियों को मकान भत्ता पर ब्याज सब्सिडी के संबंध में लाभ दिया गया जो कार्यकारियों को मूल वेतन की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक था जो कुल ₹ 1.11 करोड़ था।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीपीएसई ने अनियमित भुगतान की वसूली नहीं की और भविष्य में ₹ 2.21 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

ग. i) दिनांक 26 नवंबर 2008 और 9 फरवरी 2009[###] के डीपीई दिशानिर्देशों में यह अपेक्षित है कि सीपीएसईज़ में मजबूत और पारदर्शी निष्पादन प्रबंधन प्रणाली हो और कार्यकारियों की ग्रेडिंग में 'बेल कर्व एप्रोच' को अपनाये ताकि 10 से 15 प्रतिशत से अधिक को सर्वश्रेष्ठ/उत्कृष्ट के रूप में न आंका जाये और 10 प्रतिशत कार्यकारियों को स्तर से नीचे के रूप में आंका जाना चाहिए और स्तर से नीचे रेटिंग प्राप्त करने वालों को कोई पीआरपी नहीं दी जाएगी। एक सीपीएसई ने दिशानिर्देशों की अवहेलना की और ₹ 87.45 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सीपीएसई ने अनियमित भुगतान की वसूली नहीं की परंतु भविष्य में कोई अनियमित भुगतान नहीं किया गया।

[###] ओएम सं.-2 (70)/08-डीपीई (डब्ल्यू सी)- जीएल-IV/09 दिनांक 9 फरवरी 2009

ii) डीपीई दिशानिर्देश किसी भी कार्यकारी को देय पीआरपी हेतु एक आधारभूत सूत्र प्रदान करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक सीपीएसई ने एक पीआरपी सूत्र अपनाया जिसमें कार्यकारी निष्पादन रेटिंग (ईपीआर) की भारिता हेतु मल्टीप्लायर डीपीई निर्धारित सीमा से अधिक था जो अनियमित था और कार्यकारियों को कुल ₹ 232.16 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सीपीएसई ने अनियमित भुगतान की वसूली नहीं की परंतु भविष्य में कोई अनियमित भुगतान नहीं किया गया।

घ. दिनांक 26 नवम्बर 2008 और 2 अप्रैल 2009[§§§] के डीपीई दिशानिर्देश यह दर्शाते हैं कि कार्यकारी को स्वीकार्य अनुलाभ और भत्ते मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अंतर्गत मिलने चाहिए, सीपीएसई 'कैफ़ेटेरिया एप्रोच' भी अपना सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि सीपीएसई ने संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की हैं, तो अनुलाभों और भत्तों की संगणना के लिए इन्हें मुद्रीकृत किया जाना चाहिए और संरचनात्मक सुविधाओं के मूल्य के अनुमान के उद्देश्य हेतु केवल आवर्ती व्यय को ध्यान में रखा जाएगा और सभी कार्यकारियों के मूल वेतन का 10 प्रतिशत और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों के मूल वेतन की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अंदर सीमित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक सीपीएसई ने इन दिशानिर्देशों की अवहेलना की और निष्पादन संबंधी वेतन के प्रति ₹ 98.61 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

उपर्युक्त पैरा पर कोई की गई कार्यवाही टिप्पण प्राप्त नहीं हुई।

5.3.4 प्रोत्साहन का अनियमित भुगतान

डीपीई ने सभी सीपीएसईज़ को अनुदेश जारी (नवंबर 1997) किये जो दर्शाते हैं कि सीपीएसईज़ के कर्मचारी बोनस, अनुग्रह राशि, मानदेय, इनाम और विशेष प्रोत्साहन आदि नहीं दिये जायेंगे जब तक कि राशि यथावत अनुमोदित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्राधिकृत न की गई हो। इन दिशानिर्देशों का एक सीपीएसई द्वारा उल्लंघन किया गया था जिसने एक परियोजना के समापन के अवसर पर, श्रमिकों के वेतनमान और अधिकारियों के ग्रेड पर आधारित एक बार दी गई वित्तीय प्रोत्साहन का भुगतान किया परंतु न केवल वास्तविक रूप से परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों बल्कि कम्पनी के सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 25.98 करोड़ रूपये के वित्तीय प्रोत्साहन के भुगतान को एक अनुमोदित योजना के तहत शामिल नहीं किया गया और वह पीआरपी योजना के तहत कार्यकारियों को किया गया भुगतान और श्रमिकों को दी गई प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त था और अनियमित था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि सीपीएसई ने कर्मचारियों को एक-बार वित्तीय प्रोत्साहन के आधार पर किए गए अनियमित भुगतान की वसूली नहीं की।

[§§§] ओएम सं.2 (70)/2008-डीपीई (डब्ल्यूसी) -जीएल- VII/09 दिनांक 2 अप्रैल 2009

2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 13

5.3.5 अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश, रोग अवकाश का अनियमित नकदीकरण

भारत सरकार ने सेवा-निवृति पर 01, जनवरी 2006 से प्रभावी 300 दिनों की कुल सीमा के तहत अर्ध वेतन छुट्टी (एचपीएल) और अर्जित अवकाश (ईएल) का एक साथ नकदीकरण कराने की स्वीकृति दी थी जो कि 240 दिनों तक की ईएल के पहले की नकदीकरण की सीमा का विस्तारण था। डीपीई के अप्रैल 1987[***] के निर्देशों जो कि सीपीएसईज़ को भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में दिए गए नीति दिशानिर्देशों के व्यापक मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए अवकाश नियम बनाने के अतिरिक्त, डीपीई ने उनको उनके कर्मचारियों को सेवा-निवृति पर इर्एल और एचपीएल के नकदीकरण की 300 दिनों की कुल सीमा का पालन करने को कहा। आगे, 17 जुलाई 2012[####] के एक स्पष्टीकण में, डीपीई ने दोहराया कि रोग अवकाश को भुनाया नहीं जा सकता हांलाकि ईएल और एचपीएल को 300 दिनों की कुल सीमा के अधीन भुनाया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि पॉच सीपीएसईज़ ने इन डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया और ₹ 138.58 करोड़ की राशि का अनियमित रूप से भुगतान किया।

बीएचईएल ने एटीएन में कहा कि इसने दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु उपचारात्मक कार्यवाही की है किंतु पिछली किसी भी अनियमित भुगतान अथवा वसूली की सूचना उपलब्ध नहीं है। की गई कार्यवाई (एटीएन) टिप्पण चार[++++] सीपीएसईज़ से प्राप्त नहीं हुई है।

5.3.6 अवकाश नकदीकरण पर ईपीएफ सहयोग का नियोक्ता का भाग

ईपीएफ के सहांश में कर्मचारी को भुगतान योग्य मूल-वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ते (यदि कोई हो) का 12 प्रतिशत के दर से नियोजन का योगदान सम्मिलित है और इसके ही समान कर्मचारी के वेतन से वसूली जाती है। यदि कर्मचारी को भुगतान योग्य अवकाश नकदीकरण देय की राशि को मूल-वेतन का भाग माना जाये, इस मुद्दे पर बोम्बे उच्च न्यायालय (सितम्बर 1994) और कर्नाटक उच्च न्यायालय (अक्तुबर 2003) ने निर्णय दिया कि अवकाश नकदीकरण को ईपीएफ में योगदान के उद्देश्य से मूल-वेतन का हिस्सा माना जाये। माननीय उच्चतम न्यायालय (12 मार्च 2008) ने निश्चय किया कि मूल-वेतन में अवकाश नकदीकरण देय के लिए प्राप्त राशि को सम्मिलित करने का उद्देश्य कभी नहीं था और यदि कोई भुगतान पहले से किया जा चुका है तो उसे भविष्य की देयताओं में समायोजित किया जाए और इनकी कोई वापसी नहीं की जायेगी और मई 2008 में इसी संदर्भ में ईपीएफओ ने निदेश जारी किये। लेखापरीक्षा ने पाया कि सात सीपीएसईज़ ने या तो अवकाश नकदीकरण की राशि पर ईपीएफ अंशदान करना जारी रखा या भविष्य की देयताओं के प्रति पहले से दत्त राशि का समायोजन

[***] ओएम सं.2(27) 85-बीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 24 अप्रैल 1987

[####] ओएम सं.2(14)/2012-डीपीई (डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 17 जुलाई 2012

[++++] नाल्को, हुडको, गेल और आईओसीएल

नही किया। इन सीपीएसईज़ ने ₹ 23.42 करोड़ का अनियमित योगदान दिया और निर्णय आने से पहले भुगतान की गई ₹ 38.70 करोड़ की राशि को समायोजित नहीं किया।

उर्जा वित्त निगम ने पहले से ही ₹ 22.86 लाख वसूली की जाने वाली राशि में ₹ 21.18 लाख की वसूली/समायोजित कर लिया था। बीएचईएल ने निर्णय की तिथि से ही देय अवकाश राशि पर पीएफ की कटौती को रोक दिया है और पहले से ही वसूलीयोग्य राशि पर कानूनी सलाह ली है। तथापि, मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित हैं। एनएचपीसी ने कहा कि यह प्रथा अब बंद हो चुकी है परंतु वियुक्त कर्मचारियों से नियोक्ता के सहयोग की वसूली सुसंगत नहीं हो सकती। चार[§§] सीपीएसईज़ के संबंध में एटीएन प्राप्त नहीं किये गये।

5.3.7 निष्पादन संबंधी वेतन का अनियमयित भुगतान

डीपीई ने पीआरपी के भुगतान की शर्तें निर्धारित करते हुए नवम्बर 2008[****] में निर्देश जारी किये और नवम्बर 2010 और जुलाई 2011 में स्पष्टीकरण जारी किए: i) प्रत्येक सीपीएसई कार्यकारियों को ग्रेडिंग में 'बेल कर्व दृष्टिकोण' अपनाएगी ताकि 10 से 15 *प्रतिशत* से अधिक को उत्कृष्ट/श्रेष्ठ के तौर पर श्रेणीबद्धन किया जाये और 10 *प्रतिशत* कार्यकारियों को 'औसत से कम अच्छा' के तौर पर श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए और 'औसत से कम अच्छे' श्रेणी पाने वालों को पीआरपी नहीं दी जायेगी, ii) बोर्ड स्तर के नीचे वाले कार्यकारियों को मूल वेतन का 40 से 70 *प्रतिशत* तक की श्रेणी वाली अधिकतम सीमा स्तर और पीआरपी के लिए बोर्डस्तरीय प्रर्वतकों को मूल वेतन का 100 प्रतिशत से 200 *प्रतिशत* का प्रस्तुत करना और यह एंटरप्राइस के विवरणीय लाभ की पाँच *प्रतिशत* की कुल अधिकतम सीमा से अधिक था, iii) निष्पादन संबधी वेतन (पीआरपी) की गणना के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी), विशिष्ट उद्देश्य और मुख्य गतिविधि से आना था और वह स्टॉक के मूल्यांकन, सरकार द्वारा माफ किया गया अनुदान, भूमि-बिक्री आदि (मदों की सूची पूर्ण नहीं है) जैसी असाधारण मद पीबीटी की गणना में सम्मिलित नहीं किए जाऐगें। लेखापरीक्षा ने देखाकि पाँच सीपीएसईज़ ने इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था और पीआरपी कि ओर ₹ 202.95 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया था।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त एटीएन दर्शाता है कि इसे वि.व 2014-15 के बजट प्रावधान में आधारभूत मुआवजा के भुगतान के लिए बजट प्रदान नहीं किया गया। चार[####] सीपीएसईज़ से एटीएन प्राप्त नहीं किए गए है।

5.3.8 आकस्मिक अवकाश की अनियमित देय राशि

डीपीई ने कहा कि (अक्तूबर 2010[####]) आकस्मिक अवकाश को बिल्कुल भी भुनाया नहीं जायेगा और कैलन्डर वर्ष के अंत में समाप्त हो जाऐगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स

[§§] एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, टीएचडीसी एवं एसजेवीएन

[****] ओएम सं.2(70)08-डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल-XVI/08 दिनांक 26 नवंबर 2008

[####] ओएनजीसी, मेकॉन लिमिटेड, भेल और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड

लिमिटेड ने इन दिशानिर्देशों को उल्लंघन किया था और इस संदर्भ में ₹ 12.43 करोड़ का अनियमित भुगतान भी किया गया।

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से एटीएन प्राप्त नहीं हुआ है।

लोक उद्यम विभाग ने बताया (अप्रैल 2015) कि जबकि उपरोक्त संदर्भित मामले संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयद्वारा निपटाए जाते थे, डीपीई का अपने भाग पर सीपीएसईज़ से इस प्रभाव पर एक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के द्वारा इसके दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का एक तंत्र हैं। आगे यह बताया गया कि डीपीई ने, समझौतों ज्ञापन में परिवर्तन किए थे ताकि डीपीई दिशानिर्देशों के अननुपालन के लिए नकरात्मक अंकन समाविष्ट की जा सके।

5.4 उद्योग पर स्थाई संसदीय समिति के निदेश

उद्योग पर विभाग संबंधित स्थाई संसदीय समिति ने 19 अप्रैल 2010 को संसद के समक्ष प्रस्तुत अपनी 216वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि 'सीपीएसईज़ द्वारा कार्यान्वित नीतियों और दिशानिर्देशों को प्राप्त करने में सार्थक और प्रभावी भूमिका निभाने के लिए डीपीई को समय-समय पर इसके द्वारा निरूपित नीतियों और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में सीपीएसईज़ से अनुपालन रिपोर्ट के बारे में पूछना चाहिए तथा इन पर 'डीपीई के वार्षिक प्रतिवेदन' में अलग से पैराग्राफ शामिल किया जाना चाहिए'।

तदनुसार, जुलाई 2010 तथा जून 2011 में, डीपीई ने प्रशासकीय मंत्रालयों, को हर वर्ष जून तक सीपीएसईज़ द्वारा उसके द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया। डीपीई ने 5 के अनिवार्य भार के साथ 2012-13 के एमाओयूज़ के एक मानदण्ड के रूप में अपने कुछ दिशानिर्देशों का अनुपालन शुरू किया। तथापि, 2013-14 के एमओयूज़ के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुपालन आवश्यक मापदण्ड नहीं होगा, परन्तु अननुपालन की डिग्री/गंभीरता को देखते हुए टास्क फोर्स को 5 के नकारात्मक अंक की शास्ति लगाने की छूट होगी।

5.5 सिफारिश:

हालांकि यह सुनिश्चित करना संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की जिम्मेदारी है कि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सीपीएसईज़ द्वारा डीपीई दिशा-निर्देशों की पालना की गई है, सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में रिपोर्ट की जा रही डीपीई दिशा-निर्देशों की अक्षरश अननुपालन की लगातार और बार-बार होने वाली घटनाओं के मद्देनजर, वित्त मंत्रालय या डीपीई में एक सुदृढ़ तंत्र लागू किया जाना चाहिए ताकि अननुपालना के सभी मामलों को नियमित और महत्वपूर्ण समीक्षा द्वारा सुलझाया जाये।

ओ.एम.सं.2(32)/10-डीपीई (डब्ल्यू सी)-जीएल-XXIII/2010 दिनांक 26 अक्टूबर 2010